[Shri R. P. Ulaganambi.]

State alone or the Bill is brought forward as a national issue for the country as a whole, I would like to say one thing. The Archaeological Department does not take any care to maintain and preserve the national monuments. Also, the purpose of my bringing forward this Bill is this. This is just to instal, erect, build or construct a suitable momorial in, or near, or in the vicinity of, a protected monument or a protected area to perpetuate the memory of the person, who was either the founder, or the builder or the originator of the idea for the installation, erection, building or construction of such a monument. I am not speaking as an individual belonging to D.M.K. Party. Irrespective of the fact whether one belongs to D.M.K. or A.D.M.K. or any other party, the purpose of this Bill is only for amending Section 20A to the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. My amendment to 20A(2) is as follows :—

"(2) The Memorial so installed, erected, constructed or built shall be such as not to have the effect of destroying, removing, injuring, defacing, imperilling or misusing the protected monument."

That is the guarantee that is given in this Bill. It is not that any individual party or Member with vast majority of votes comes forward with this Bill for installing a statue. This reflects the aspiration of the people of the locality who want to instal or erect the statue. That should be considered. That is the spirit behind this Bill. It is not my intention to bring in any party issue or any individual's issue.

MR. CHAIRMAN : Those things are clearly mentioned in the Bill. Tell us whether you are willing to withdraw this Bill or not.

SHRI R. P. ULAGANAMBI : It is not unconstitutional as one hon. Member said. I only want an amendment to Section 20. If the Minister accepts this, then only he can bring forward an amendment to the Constitution. It is not unconstitutional. It is within the purview of the Constitution.

Prof. Mukerjee raised this issue—he is not here—and he also appreciated the maintenance of the Madurai temple. Also he appreciated the panoramic view of the Cape Comerin—Kanyakumari. Madurai temple is looked after by the State Government. That is why it is properly looked after a great struggle we got the limited permission to garden the open space around Vellore Fort. If any State Government comes forward and pass a resolution by majority to take over any temple or erect any statue then only the Bill seeks for your consideration.

MR. CHAIRMAN : Do you want to withdraw the Bill or not ?

SHRI R. P. ULAGANAMBI : I seek leave of the House to withdraw the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to Shri R. P. Ulaganambi to withdraw the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 1972."

The motion was adopted.

SHRI R. P. ULAGANAMBI : I withdraw the Bill.

MOTHER'S LINEAGE BILL

17.50 hrs.

श्री मधु लिमये (बांका) I beg to move :

"That the Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother be taken into consideration."

सभापति महोदय, आज सारा विश्व सप्त क्रान्तियों की चपेट में है। यह सात क्रान्तियां कम अधिक मात्रा में दुनिया के विभिन्न देशों में चल रही हैं, और हमारा ऐसा देश जिसने इनमें से कुछ क्रान्तियों में अगुवाई की थी इस देश को तो इनके सभी पहलुओं पर बड़ी गम्भीरता से गौर करना चाहिये। इन सप्त क्रान्तियों में एक क्रान्ति है आर्थिक समानता की, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको मिटाने वाली।

और दूसरी क्रान्ति है सामाजिक समानता की, जन्म पर आधारित जाति की कल्पना को समाप्त करने वाली। तीसरी क्रान्ति है काले-गोरे की असमानता को मिटाने वाली वंशवार-विरोधी क्रान्ति। चौथी क्रान्ति है उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की क्रान्ति। दुनिया के अधिकतर हिस्सों में तो यह क्रान्ति सम्पन्न हुई है, लेकिन अफ्रीका में, खास करके पुर्तगाली साम्राज्य के नीचे आज अफ्रीका के कई देश हैं जिनको राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह क्रान्ति भी आज अधूरी है। पांचवीं क्रान्ति है पूंजीवाद और असमानता-विरोधी क्रान्ति। छठी क्रान्ति है एक तिहाई विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों की दुनिया, एक तिहाई दुनिया, और दूसरी ओर अविकसित राष्ट्रों की दो तिहाई दुनिया इनके बीच में जो मतभेद है। विगत 27 सालों में कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको खत्म करना भी आवश्यक है। और सातवीं क्रान्ति है नर-नारी समानता की क्रान्ति। और इस विधेयक का सम्बन्ध इस सातवीं क्रान्ति से है। यह सातवीं क्रान्ति ही इसका आधार है।

सभापति महोदय, मेरा जो विधेयक है उसका मकसद तो सीमित है। मगर इसके द्वारा मैं उन सारे सवालों को उठाना चाहता हूं जिनका सम्बन्ध उदारता और समानता से है। हमारे संविधान में सभी लोगों को कानून के सामने समानता प्रदान की गई है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कानून की इस मान्यता को आज कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। कानून ने कहा है कि सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिले। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह का समान संरक्षण आज नहीं मिल रहा है। समाज में कुछ लड़कों को, कुछ बच्चों को अनौरस और अवैध माना जाता है, उनके कदम-कदम पर अपमानित किया जाता है। नतीजा यह होता है कि यह मासूम बच्चे, यह फूल बचपन में ही मुर्झा जाते हैं। तो क्या इस सदन का यह कर्त्तव्य नहीं है कि जिन बच्चों का कोई अपराध नहीं है उनके साथ इस तरह का व्यवहार कम से कम कानून और संविधान के आधार पर न किया जाय, और इस तरह का एक आन्दोलन हम लोग चलायें जिससे समाज की जो कल्पना, समाज के जो अनुदार विचार हैं, परम्परागत विचार हैं उनमें कोई परिवर्तन आये?

सभापति महोदय, आज का समाज, इसके बारे में दो रायें नहीं हैं कि, सम्पत्ति-अभिमुख और पुरुष-प्रधान है और बहुत सारे जो आधार हैं कानून के और मान्यताओं के, इसके पीछे यही दकियानूसी दृष्टिकोण है। और नतीजा यह होता है कि सम्पत्ति-अभिमुख और पुरुष प्रधान समाज अविवाहित माताओं को पतिता का दर्जा देता है और उनकी सन्तति के साथ दुर्व्यवहार करता है। इसलिये इस विधेयक के द्वारा में इस बात का प्रारम्भ करना चाहता हूं। इससे सारी समस्यायें तो समाप्त नहीं होतीं, लेकिन इस विधेयक के द्वारा एक नई उदारवादी परम्परा कायम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारे प्राचीन इतिहास की ओर देखा जाय तो हमेशा ऐसी माताओं की तरफ और बच्चों की तरफ देखने का दृष्टिकोण हमेशा अनुदार नहीं रहा है।

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may please continue his speech next time.

Now we take up Half-an-Hour Discussion.

18.00 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

SUPPLY OF MACHINERY TO HEAVY ENGINEERING CORPORATION, RANCHI

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) : I rise to raise a discussion on points arising out of the reply given to my unstarred question No. 2231 on 7th March, 1974 in connection with the Heavy Engineering Corporation, Ranchi.

The reply to my question was given by the Deputy Minister of Heavy Industry; regarding the non-supply of complete machinery, plant and machine-tools for the heavy Engineering Corporation, Ranchi,